उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड
नवाड़खेड़ा, गौलापार (नैनीताल)

उत्तराखण्ड राज्य

05946–299615,05946–299616,05946–299617
Mail id: highereducation.director@gmail.com

पत्रांकः डिग्री विविध/6452/2024–25

दिनाँकः 11 मार्च, 2025

सेवा में,

प्राचार्य,
समस्त शासकीय/अशासकीय स्नातक/स्नातकोत्तर
महाविद्यालय, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।

विषयः–समान नागरिकता संहिता (यू0सी0सी0) के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उतराखण्ड शासन, के पत्र संख्याः 236/XXIV-C-4/2025(06)2025(E-842921) उच्च शिक्षा अनुभाग–04, दिनांकः 04 मार्च, 2025 एवं यू0सी0सी0 के क्रियान्वयन के संबंध में विचार–विमर्श किये जाने हेतु दिनांकः 10 फरवरी, 2025 को अपर मुख्य सचिव, वित्त/कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त के क्रम में उत्तराखण्ड सरकार द्वारा लागू समान नागरिक संहिता के तहत सभी नागरिकों, जिनका विवाह दिनांकः 26.03.2010 के पश्चात हुआ है, के विवाह का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है। इस महत्वपूर्ण कार्य को युद्धस्तर पर पूर्ण किये जाने हेतु निम्नलिखित निर्देश जारी किये गये हैं, जो निम्नवत हैं –

1. यू0सी0सी0 के व्यापक प्रचार हेतु एक सप्ताह के भीतर समस्त राज्य वि0वि0/रा0महा0/अशाकीय महा0 में ट्रेंनर चिन्हित करेंगे तथा जागरूकता हेतु सेमिनार भी आयोजित कराये जायेंगे।
2. यू0सी0सी0 के प्रचार–प्रसार हेतु एक सप्ताह के भीतर सेमिनार एवं वर्कशॉप आयोजित करायी जायेगी।
3. समस्त राज्य वि0वि0/महाविद्यालय में कुलसचिव/प्राचार्य द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जायेगा, जो महाविद्यालय के विवाहित कार्मिकों के विवाह पंजीकरण कराना सुनिश्चित कराएगा।

~~श्रीमती~~ कु० सपना आवश्यक कार्यवाही करें।

17/3/2025

4. महाविद्यालय के प्राचार्य अपने अधीनस्थ विवाहित कार्मिकों को निर्देशित करेंगे कि वे अपने विवाह का पंजीकरण यू0सी0सी0 पोर्टल पर अनिवार्य रूप से करायें।

5. **सभी महाविद्यालय प्राचार्य यह सुनिश्चित कर ले कि यह कार्य समयबद्ध रूप से लागू करते हुए** इसकी साप्ताहिक रिपोर्ट एवं प्रगति आख्या की प्रति अपने कार्यालय में संरक्षित रखेंगे, ताकि भविष्य में सूचना माँगे जाने पर तत्काल व समय से प्राप्त हो सके।

क्र0सं0	विभाग / कार्यालय का नाम व पता	विभाग / कार्यालय के नोडल अधिकारी का नाम, पदनाम व मो0नं0	कुल कर्मचारियों की संख्या	समान नागरिक संहिता में पंजीकृत कराये ये अधिकारियों / कर्मचारियों की संख्या	शेष
1	2	3	4	5	5

अतः समस्त प्राचार्यो को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर अपेक्षित कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से निदेशालय की ई–मेल highereducation.director@gmail.com में अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः उक्तवत्।

भवदीय

(डॉ0 आर0एस0 भाकुनी)
उपनिदेशक / नोडल अधिकारी,
यू0सी0सी0, उच्च शिक्षा
उत्तराखण्ड हल्द्वानी, नैनीताल।

पृष्ठांकन संख्या 6452-53 डिग्री विविध–वि0 / 2024–25 तद्दिनॉक।

प्रतिलिपि– 1. उप सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ सेवा में सादर प्रेषित।

2. जिलाधिकारी, नैनीताल को सूचनार्थ सेवा में सादर प्रेषित।

(डॉ0 आर0एस0 भाकुनी)
उपनिदेशक / नोडल अधिकारी,
यू0सी0सी0, उच्च शिक्षा
उत्तराखण्ड हल्द्वानी, नैनीताल।

iQOO Z6
Apr 1, 2025, 15:36

संख्या– 236 /XXIV-C-4/2025-25(06)2025 (E- 84292)

183 तिथि 05/03/25 10/3/25

प्रेषक,

व्योमकेश दूबे,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा विभाग,
हल्द्वानी।

उच्च शिक्षा अनुभाग–4 देहरादून : दिनांक 04 ~~फरवरी~~ मार्च, 2025

विषय– यू0सी0सी0 के कियान्वन के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपर मुख्य सचिव, वित्त/कार्मिक विभाग की अध्यक्षता में दिनांक 10.02.2025 को सम्पन्न बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया यू0सी0सी0 के कियान्वन हेतु उच्च शिक्षा विभाग से संबंधित बिन्दुओं पर अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही करते हुए कृत कार्यवाही से तत्काल शासन को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

प्रकरण पर उच्चस्तरीय अपेक्षा के दृष्टिगत आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।

संलग्नक– यथोपरि।

Signed by
Byomkesh Dubey
Date: 04-03-2025 13:43:06

भवदीय,
(व्योमकेश दूबे)
उप सचिव।

File No. HES-4-OTHE/OR/6/2025-XXIV-C-4-Higher Education Department-Part(1) (Computer No. 84292)
Generated from eOffice by ASHA KANDPAL, SO-HigherEdu4-AK, SECTION OFFICER, Higher Education Department on 04/03/2025 03:12 PM

iQOO Z6
Apr 1, 2025, 15:36

RHo- 236/XXIV-C-4/2025

E- 84292

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–5
संख्याः229/XX(5)/25–03(10)/2024–टी0सी0–2
देहरादूनः दिनांक 19 फरवरी, 2025

1. सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

2. सचिव,
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
उत्तराखण्ड शासन।

3. सचिव,
कार्मिक विभाग,
उत्तराखण्ड शासन।

U.S-A

अवगत कराना है कि यू0सी0सी0 के क्रियान्वयन के संबंध में विचार विमर्श किये जाने हेतु दिनांक 10 फरवरी 2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अपर मुख्य सचिव, वित/कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में आपके विभाग से संबंधित कतिपय दिशा–निर्देश प्रदान किये गये हैं।

2. इस संबंध में उक्त बैठक के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि कृपया बैठक के क्रम में अपने विभाग से संबंधित बिन्दुओं के संबंध में कृत कार्यवाही से संबंधित आख्या गृह विभाग को उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

19/2/25
(निवेदिता कुकरेती)
अपर सचिव।

(व्योमकेश दूबे)
उप सचिव
उच्च शिक्षा

संख्याः /XX(5)/25-03(10)24-TC-2 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त बैठक द्वारा प्रदत्त निर्देशानुसार अनुपालन आख्या गृह विभाग को ससमय उपलब्ध कराने का कष्ट करें :–

1. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
2. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, सूचना एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड।
4. गार्ड फाईल।

संलग्नकः यथोक्त।

(निवेदिता कुकरेती)
अपर सचिव।

S-(HE)

(सत्यप्रकाश सिं
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन

S.O(H.E)-4

27/02/2025
(अंजुम सिंह नपलच्याल)
अनु सचिव
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तराखण्ड शासन

iQOO Z6
Apr 1, 2025, 15:37

यू०सी०सी० के क्रियान्वयन के संबंध में विचार–विमर्श किये जाने हेतु दिनांक 10 फरवरी 2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे अपर मुख्य सचिव, वित्त/कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में उपस्थिति :–

1. श्री दीपम सेठ, पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
2. श्री शैलेश बगौली, सचिव गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री सचिन कुर्वे, सचिव पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. श्री वी0 षणमुगम, सचिव वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. डा0 रंजीत सिन्हा, सचिव खेल विभाग उत्तराखण्ड शासन।
6. श्री धीराज सिंह गर्ब्याल, सचिव अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. श्रीमती निकिता खण्डेलवाल, निदेशक, सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी, देहरादून, उत्तराखण्ड ।
8. श्री पदमेन्द्र सकलानी, अपर निदेशक, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड।
9. श्री मनोज श्रीवास्तव, उप निदेशक सूचना विभाग, उत्तराखण्ड।
10. श्री नीलेश भरणे, महानिरीक्षक, कानून एवं व्यवस्था, उत्तराखण्ड।
11. श्री नीतिन उपाध्याय, संयुक्त निदेशक सूचना विभाग, उत्तराखण्ड ।
12. श्री आर0के0एन0 त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक, पंचायती राज उत्तराखण्ड।
13. श्री ललित मोहन रयाल, अपर सचिव, कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
14. श्रीमती निवेदिता कुकरेती, अपर सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

सर्वप्रथम अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा बैठक में उपस्थित समस्त प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए बैठक का प्रारम्भ किया गया। बैठक में समान नागरिक संहिता के अंतर्गत किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के पंजीकरणों के व्यापक प्रचार प्रसार के संबंध में विचार–विमर्श किया गया, जिसके क्रम में बैठक मे निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

(क) यू0सी0सी0 के अंतर्गत राज्य के समस्त शासकीय अधिकारियों/कार्मिकों के पंजीकरण अनिवार्य कराये जाने हेतु कार्मिक विभाग द्वारा शासनादेश निर्गत किया जायेगा।

(कार्यवाहीः कार्मिक विभाग, उत्तराखण्ड शासन)

(ख) समस्त विभागाध्यक्ष अपने विभागान्तर्गत ऐसी लाभार्थी योजनाओं को चिन्हित करेंगे जिन्हें यू0सी0सी0 से लिंक किया जाय। इस संबंध में सूचना 15 दिवस के अंतर्गत गृह विभाग से साझा की जायेगी।

(कार्यवाहीः समस्त विभागाध्यक्ष,/गृह विभाग उत्तराखण्ड)

(ग) सूचना विभाग द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से यू0सी0सी0 का व्यापक प्रचार प्रसार किया जायेगा एवं पैम्पलेट, कॉलम, शार्ट वीडियों, रील, आदि 02 दिवस के भीतर तैयार करायी जाय। उक्त के अतिरिक्त विभिन्न मीडियॉ प्लेटफार्म पर डीबेट इत्यादि आयोजित करायी जाय।

(कार्यवाहीः सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड)

(घ) यू0सी0सी0 के अंतर्गत निबंधक एवं उप निबंधक के प्रशिक्षण आदि के संबंध में प्रत्येक माह सी0एस0सी0 एवं आई0टी0डी0ए0 द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कराया जायेगा।

(कार्यवाहीः गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन)

(सत्यप्रकाश सिंह)
संयुक्त सचिव
उत्तराखण्ड शासन

अनु सचिव
उच्च शिक्षा विभाग
उत्तराखण्ड शासन

iQOO Z6
Apr 1, 2025, 15:37

(ङ) यू0सी0सी0 हेतु यूजर मनुअल माड्यूल आई0टी0डी0ए0 द्वारा 10 दिवस के भीतर तैयार किया जायेगा।

(कार्यवाहीः आई0टी0डी0ए0 देहरादून)

(च) यू0सी0सी0 के व्यापक प्रचार हेतु उच्च शिक्षा विभाग एक सप्ताह के भीतर अपने विश्वविद्यालयों एंव डिग्रीकालेजों में ट्रेनर चिन्हित् करेंगे तथा उनका प्रशिक्षण गृह विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए सम्पन्न कराएंगे तथा जागरूकता हेतु सेमिनार भी आयोजित कराये जायेंगे।

(कार्यवाहीः उच्च शिक्षा विभाग)

(छ) अल्पसंख्यक विभाग द्वारा यू0सी0सी0 के प्रचार–प्रसार हेतु एक सप्ताह के भीतर सेमिनार एवं वर्कशाप आयोजित करायी जायेगी।

(कार्यवाहीः उच्च शिक्षा/अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)

(ज) यू0सी0सी0 के संबंध में प्रचार–प्रसार हेतु रेडियो पर गणमान्य व्यक्तियों एवं अधिकारियों द्वारा पोडकास्ट में प्रतिभाग किया जायेगा।

(कार्यवाहीः गृह विभाग)

अंत में बैठक का सधन्यवाद समापन किया गया।

(निवेदिता कुकरेती)
अपर सचिव।

उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग–5
संख्याः221 /XX(5)/24-03(10)24-TC-2
देहरादून, दिनांक 18 फरवरी 2025

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था, उत्तराखण्ड।
3. महानिदेशक, सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड।
4. महानिबंधक, यू0सी0सी0 उत्तराखण्ड।
5. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, आई0टी0डी0ए0, देहरादून उत्तराखण्ड।
7. निजी सचिव, सचिव, पर्यटन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
8. निजी सचिव, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. निजी सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
10. प्रमुख निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, कार्मिक/वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11. निजी सचिव, सचिव गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
12. निजी सचिव विशेष सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
13. प्रमुख निजी सचिव, अपर सचिव गृह अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
14. गार्ड फाईल।

iQOO Z6
Apr 1, 2025, 15:37